उत्तर प्रदेश शासन

कार्मिक अनुभाग–2

संख्या–6/2021/6/XII–1973–का–2–2021टी.सी.–(IV)/2021

लखनऊः दिनांकः 12 नवम्बर, .2021

अधिसूचना संख्या–6/2021/6/XII–1973–का–2–2021टी.सी.–(IV)/2021 दिनांकः 12 नवम्बर, 2021 के द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (बारहवां संशोधन) नियमावली, 2021 (अंग्रेजी रूपान्तर सहित) की प्रतिलिपि संलग्न कर निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्रिगण को, मा0 मंत्रिगण के सूचनार्थ।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव के सूचनार्थ।
5. प्रमुख सचिव, विधान परिषद/विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
6. रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
7. सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
8. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
9. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
10. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
12. निदेशक, सेवायोजन विभाग, उत्तर प्रदेश।
13. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
14. वेब अधिकारी/वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश।
15. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को 200 प्रतियाँ मुद्रित कराकर कार्मिक अनुभाग–2 को उपलब्ध कराने हेतु।
16. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
17. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विजय कुमार संखवार)
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक अनुभाग–2

संख्या–**6/12/73**–का–2/2021टी.सी.–IV

लखनऊ, दिनांक : 12 नवम्बर, 2021

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं :–

उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (बारहवाँ संशोधन) नियमावली, 2021

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) यह नियमावली **उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (बारहवाँ संशोधन) नियमावली, 2021** कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 2 का संशोधन

2. उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 में, नियम 2 में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान खण्ड (ग) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 **विद्यमान खण्ड**	**स्तम्भ–2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड**
"कुटुम्ब" के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक के निम्नलिखित सम्बन्धी होंगे:–	**(ग)** "कुटुम्ब" के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक के निम्नलिखित सम्बन्धी होंगे:–
(एक) पत्नी या पति;	(एक) पत्नी या पति;
(दो) पुत्र/ दत्तक पुत्र;	दो) पुत्र/ दत्तक पुत्र;
(तीन) अविवाहित पुत्रियाँ, अविवाहित दत्तक पुत्रियाँ, विधवा पुत्रियाँ और विधवा पुत्र वधुएँ,	**(तीन) पुत्रियां (जिनमें दत्तक पुत्रियां सम्मिलित हैं) और विधवा पुत्र वधुएँ;**
	(चार) मृत सरकारी सेवक पर आश्रित अविवाहित भाई,अविवाहित बहन और विधवा माता, यदि मृत सरकारी सेवक अविवाहित था।

(चार) मृत सरकारी सेवक पर आश्रित अविवाहित भाई, अविवाहित बहन और विधवा माता, यदि मृत सरकारी सेवक अविवाहित था।

(पाँच) ऐसे लापता सरकारी सेवक, जिसे सक्षम न्यायालय द्वारा 'मृत' के रूप में घोषित किया गया है, के उपरिउल्लिखित सम्बन्धी;

परन्तु यदि मृत सरकारी सेवक के उपरिउल्लिखित सम्बन्धियों में से किसी से सम्बन्धित कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है या वह शारीरिक और मानसिक रूप से अनुपयुक्त पाया जाय और इस प्रकार सरकारी सेवा में नियोजन के लिए अपात्र हो तो केवल ऐसी स्थिति में शब्द "कुटुम्ब" के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक पर आश्रित पौत्र और अविवाहित पौत्रियाँ भी सम्मिलित होंगी।

(पाँच) ऐसे लापता सरकारी सेवक, जिसे सक्षम न्यायालय द्वारा 'मृत' घोषित किया गया है, के उपरिउल्लिखित सम्बन्धी;

परन्तु' यह कि यदि मृत सरकारी सेवक के उपरिउल्लिखित सम्बन्धियों में से किसी से सम्बन्धित कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है या वह शारीरिक और मानसिक रूप से अनुपयुक्त पाया जाय और इस प्रकार सरकारी सेवा में नियोजन के लिए अपात्र हो तो केवल ऐसी स्थिति में शब्द "कुटुम्ब" के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक पर आश्रित पौत्र और अविवाहित पौत्रियाँ भी सम्मिलित होंगी।

आज्ञा से,

(डॉ0 देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 6/XII-1973-Personnel-2-2021T.C.-IV, dated November 12, 2021:

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
PERSONNEL SECTION-2

NOTIFICATION

Miscellaneous

No. 6/XII-1973-Personnel-2-2021T.C.-IV

Dated Lucknow, 12 November, 2021

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending The Uttar Pradesh Recruitment of Dependants of Government Servants Dying in Harness Rules, 1974:

THE UTTAR PRADESH RECRUITMENT OF DEPENDANTS OF GOVERNMENT SERVANTS DYING IN HARNESS (TWELFTH AMENDMENT) RULES, 2021

Short title and commencement

1.(1) These rules may be called **The Uttar Pradesh Recruitment of Dependants of Government Servants Dying in Harness (Twelfth Amendment) Rules, 2019**.

(2) They shall come into force at once.

Amendment of rule-2

2. In the Uttar Pradesh Recruitment of Dependants of Government Servants Dying in Harness Rules, 1974, in rule 2, for existing clause (c) set out in column-1 below, the clause as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

COLUMN-1	**COLUMN-2**
Existing clause	Clause as hereby substituted
(c) "family" shall include the following relations of the deceased Government servant:-	(c) "family" shall include the following relations of the deceased Government servant:-

(i) wife or husband;

(ii) sons/ adopted sons;

(iii) unmarried daughters, unmarried adopted daughters, widowed daughters and widowed daughters-in-law;

(iv) unmarried brothers, unmarried sisters and widowed mother dependent on the deceased Government servant, if the deceased Government servant was unmarried;

(v) aforementioned relations of such missing Government servant who has been declared as "dead" by the competent court:

Provided that if a person belonging to any of the above mentioned relations of the deceased Government servant is not available or is found to be physically and mentally unfit and thus ineligible for employment in Government service, then only in such situation the word "family" shall also include the grandsons and the unmarried granddaughters of the deceased Government servant dependent on him.

(i) wife or husband;

(ii) sons/ adopted sons;

(iii) daughters (including adopted daughters) and widowed daughters-in-law,

(iv) unmarried brothers, unmarried sisters and widowed mother dependent on the deceased Government servant, if the deceased Government servant was unmarried;

(v) aforementioned relations of such missing Government servant who has been declared as "dead" by the competent court:

Provided that if a person belonging to any of the above mentioned relations of the deceased Government servant is not available or is found to be physically and mentally unfit and thus ineligible for employment in Government service, then only in such situation the word "family" shall also include the grandsons and the unmarried granddaughters of the deceased Government servant dependent on him.

By order,

(Dr. Devesh Chaturvedi)
Additional Chief Secretary.